प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.08.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा स्नैचिंग (झपट्टमारी) जैसे जघन्य अपराध करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ट्रान्स हिण्डन जोन, कमि0 गाजियाबाद श्री निमिष पाटील के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना इन्दिरापुरम पर समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त 03 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

अभियुक्तगण द्वारा स्नैचिंग (झपट्टमारी) जैसे जघन्य अपराध कारित कर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0सं0 895/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों (निवारण) अधि0 1986 बनाम 1.बलराम पुत्र भगत किशोर, 2. शशि पुत्र भूप सिंह, 3. रवि सोनी पुत्र अजय सोनी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया।

इसी क्रम मे थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग मे वाँछित अभियुक्त रवि सोनी पुत्र अजय सोनी निवासी चलन विहार बालाजी मन्दिर के पास थाना अंकुर बिहार गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को दिनांक 16.08.2025 को बालाजी मंदिर चमन विहार के पास से गिरफ्तार किया गया।

इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	**अभियुक्त का नाम व पता**	**पंजीकृत गैंग**	**कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या**
1	बलराम पुत्र स्व0 भगवत किशोर नि0 मकान सं0 बी- 4/272 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली -93 उम्र 42 वर्ष	स्नैचिंग जैसे अपराधों से संबंधित डी – 364/2025 गैंग पंजीकरण है।	4
2	शशि पुत्र भूप सिंह नि0 म0नं0 ए-2/491 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली -93 उम्र 40 वर्ष- **गिरफ्तार दिनांक-02/08/2025**	स्नैचिंग जैसे अपराधों से संबंधित डी – 364/2025 गैंग पंजीकरण है।	4

3	रवि सोनी पुत्र अजय सोनी नि0 चमन विहार बालाजी मन्दिर के पास थाना अंकुर विहार गा0बाद उम्र 22 वर्ष- **गिरफ्तार-16/08/2025**	स्नैचिंग जैसे अपराधों से संबंधित डी – 364/2025 गैंग पंजीकरण है।	1

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक वांछित गोकश गिरफ्तार।

आज दिनांक 16/8/2025 को थाना मसूरी पुलिस पाइप लाइन बंबे फ्लैटों के पास पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक सवार कल्लूगढ़ी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। जिसे रुकने का इशारा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो उसके द्वारा बाइक न रोक पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए बाइक मोड कर भागने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में उसके दाहिने पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अयान पुत्र अनीश निवासी ग्राम उझारी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा बताया। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्त थाना मसूरी से गौकशी के अभियोग में वांछित चल रहा था। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

अयान पुत्र अनीश निवासी ग्राम उझारी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा हाल पता नूरानी मस्जिद खोड़ा थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा 315 बोर 01 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर

01 बाइक एफ जेड बिना नंबर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा धोखाधडी कर चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 12000/-रुपये नगद बरामद।

दिनांक 23.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर उनके पचास हजार रूपये चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-303(2)/318(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की तलाश/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 17.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम मय स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.देवेंद्र पुत्र रंजीत बाग निवासी गरिमा गार्डन गली नंबर 15 ड्राई क्लीनर का कारखाना थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र- 44 वर्ष 2.सत्यप्रकाश पुत्र लालाराम निवासी सिरासौल पट्टी जसा तहसील बिल्सी थाना कोतवाली बिल्सी जिला बदायूं उम्र- 36 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 12000/- रूपये नगद बरामद किये गये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है बताया कि हम दोनों पीएनबी बैंक टीला शाहबाजपुर के पास मौजूद थे तब एक व्यक्ति पैसे निकालने आया था जिसको हम दोनों ने बहला-फुसलाकर अपने साथ दूर ले जाकर उसके 50 हजार रुपए ठगी करके भाग गए थे। हम दोनों ने ठगे हुए पैसे को आपस में बराबर-बराबर बांट लिये थे। यह पैसे जो हमारे कब्जे से बरामद हुए हैं यह उसी पैसो में से बचे हुए है, शेष पैसे खर्च हो चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. देवेंद्र पुत्र रंजीत बाग निवासी गरिमा गार्डन गली नंबर 15 ड्राई क्लीनर का कारखाना थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र- 44 वर्ष
2. सत्यप्रकाश पुत्र लालाराम निवासी सिरासौल पट्टी जसा तहसील बिल्सी थाना कोतवाली बिल्सी जिला बदायूं उम्र- 36 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।
स्वाट टीम ग्रामीण जोन।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को सहायता देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त फुरकान वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर दिनांक 16.08.2025 को उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त रहीस पुत्र छिद्दी निवासी बदनपुर थाना सुरीर जनपद मथुरा उम्र करीब 35 वर्ष को घटना में वांछित अभियुक्त फुरकान की सहायता करने में गिरफ्तार किया गया तथा वांछित अभियुक्त फुरकान की गिरफ्तारी हेतु टीम लगी है। अभियोग में धारा 64(1)/142 बीएनएस व धारा 5/6/16/17 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है साहब मेरा भतीजा फुरकान उर्फ गुल मोहम्मद यहाँ से वादी की पुत्री को लेकर चला गया था। वादी की पुत्री के सम्बन्ध मेरे भतीजे फुरकान से करीब 2-3 वर्ष पहले से चले आ रहे थे। दो बार पहले भी मेरा भतीजा वादी की पुत्री को घर लेकर आया था। उस समय समाज के व्यक्तियो ने हम लोगो को समझाया था तो हम लोगो ने वादी की पुत्री को वापस कर दिया था लेकिन हमारा भतीजा फुरकान उर्फ गुल मोहम्मद फिर से वादी की पुत्री को ले आया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रहीस पुत्र छिद्दी निवासी बदनपुर थाना सुरीर जनपद मथुरा उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित अभियुक्त को पनाह देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 17.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित अभियुक्त सुशील प्रजापति को पनाह देने वाला अभियुक्त प्रमोद पुत्र रामदास नि0 फ्लैट न0 08 खुशी अपार्टमेन्ट राजेन्द्र पार्क थाना राजेन्द्रपार्क जनपद गुरुग्राम उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 249 बीएनएस बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि सुशील प्रजापति मेरा रिश्तेदार है जिसके विरूद्ध थाना मुरादनगर पर दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत है। यह जानते हुये भी मैंने सुशील प्रजापति व उसके बडे भाई पुष्पेन्द्र प्रजापति को पुलिस से बचाने के लिये सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था और मौका पाकर वे कहीं अन्यत्र स्थान पर चले गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त प्रमोद पुत्र रामदास नि0 फ्लैट न0 08 खुशी अपार्टमेन्ट राजेन्द्र पार्क थाना राजेन्द्रपार्क जनपद गुरुग्राम उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.08.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर जंगल की तरफ ले जाना तथा वादी द्वारा बेटी को आवाज लगाई तो आवेदक की आवाज सुनकर रूक गयी तथा आवेदक की आवाज को सुनकर अभियुक्त विशाल उपरोक्त मौके से भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर

थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 17.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है तथा बताया कि मेरी वादी व वादी की पुत्री से जान-पहचान थी। मैं वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर जंगल में गलत नियत से ले जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विशाल पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा चोरी की स्कूटी व 02 बैटरियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 17.08.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त मुन्ना सैफी पुत्र जुगनू निवासी म0न0 180 गली नम्बर 10 न्यू मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली उम्र 36 वर्ष को मन्सादेवी मन्दिर के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली चोरी की गई 01 स्कूटी तथा 02 बैटरियां बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त मुन्ना सैफी उपरोक्त ने बताया कि साहब मैंने यह स्कूटी करीब 01 माह पहले दिल्ली से चोरी की थी और इसी स्कूटी का प्रयोग करके मैंने ये 02 बैटरियां भी कल रात में ही चोरी की थी। मैं इन बैटरियों को स्कूटी पर रखकर बेचने के लिए जा रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

मुन्ना सैफी पुत्र जुगनू निवासी म0न0 180 गली नम्बर 10 न्यू मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली उम्र 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण

दिल्ली से चोरी की 01 स्कूटी तथा 02 बैटरियां बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त मुन्ना सैफी उपरोक्त के विरूद्ध दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली टीम-.

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 17.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र पुस्ता से अवैध 01 तमंचा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त वैश उर्फ उवैश पुत्र बुन्दू निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह देशी तमंचा में दिल्ली से खरीद कर लाया था। मैं देशी तमंचा दिखाकर लोगों के मन में भय बनाकर अपना रौब जमाता हूँ। आज यह तमंचा लेकर मैं घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वैश उर्फ उवैश पुत्र बुन्दू निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

अवैध 01 तमंचा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त वैश उर्फ उवैश के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से लाठी-डण्डा, ईट-पत्थर से मारपीट करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2.0 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 05.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 1.900 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्तगण 1.मोनू पुत्र शहजाद 2.मुन्ना पुत्र शकील को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा- 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त जावेद उर्फ सिद्दू उर्फ इरशाद पुत्र मौसम अली निवासी दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम लूम थाना छपरौली बागपत उम्र 26 वर्ष वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था।

आज दिनांक 17.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र पुस्ता से अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त जावेद उर्फ सिद्दू उर्फ इरशाद पुत्र मौसम अली निवासी दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम लूम थाना छपरौली बागपत उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 2.0 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से गांजा लाकर अपने दोस्त मोनू और मुन्ना को बेचता हूँ तथा खुद भी चोरी छिपे क्षेत्रों में राह चलते व्यक्तियों को घूम फिरकर गांजा बेच देता हूँ तथा प्राप्त रूपयों से अपने शौक पूरे करता हूँ। जब पुलिस ने मेरे दोस्त मोनू व मुन्ना को पकडा था तो मैं छिपकर जनपद गाजियाबाद से बाहर भाग गया था, आज मैं गांजे को बेचने के लिए ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में आया था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जावेद उर्फ सिद्दू उर्फ इरशाद पुत्र मौसम अली नि0 दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम लूम थाना छपरौली बागपत उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 2.0 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त जावेद उर्फ सिद्दू उर्फ इरशाद के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर अवैध गांजा बरामदगी के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम